दिनांक 22.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 22/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) मुख्यालय का भ्रमण/निरीक्षण किया गया।

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 22.07.2021 को एसटीएफ मुख्यालय, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ का भ्रमण/निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा एसटीएफ मुख्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण के क्रम में रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया। एडीजी एसटीएफ द्वारा संगठन के कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा एसटीएफ के कार्यों की समीक्षा की गयी। अधिकारियों को संगठित अपराधियों पर एसटीएफ द्वारा किये जा रहे कार्यवाही को और प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। एसटीएफ द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्ताव यथा अभियोजन अधिकारी (प्रासिक्यूटर) एवं अन्य पदों पर नियुक्ति (मैन पावर में वृद्धि), एसटीएफ की यूनिटों के भवन निर्माण, साइबर से सम्बन्धित व अन्य अत्याधुनिक संसाधन की उपलब्धता एवं रखरखाव आदि के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संगठन को और मजबूत बनाने एवं उक्त बिन्दुओं पर यथाशीघ्र प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर श्री रवि जोसफ लोक्कू, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रुद्राक्ष (Elaeocarpus ganitrus)
(श्री मुकुल गोयल)
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय,
के कर कमलों द्वारा,
वृक्षारोपण– दिनांक 22.07.2021

जनपद झाँसी/थाना प्रेमनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के लगभग 15 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **10 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22.07.2021 को थाना प्रेमनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना प्रेमनगर क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–सुनील कुमार 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के लगभग 15 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, 10 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.07.2021 को थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत घटित घटना के सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर मु0अ0सं0 237/2021 धारा 302/394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील कुमार निवासी शिवविहार फेज–2 करावल नगर थाना करावल नगर 94 नार्थ इस्ट दिल्ली, हालपता रेलगंज पुलिया थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी।

2–अभियुक्ता निवासी हिम्मतसिंह नगर सी ब्लाक नियर गुरूतेग बहादुर स्कूल रोड थाना डुगरी लुधियाना पंजाब।

बरामदगी

1–लूट के लगभग 15 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–10 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.07.2021 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौधरपुर मोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रियाज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना डिडौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 240/2021 धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0 243/2021 धारा 379/411 भादवि एवं मु0अ0स0 251/2021 धारा 411/413/414 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रियाज निवासी शहबाजपुर थाना असमौली जनपद सम्भल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 21.07.2021 की रात्रि थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहिन्दा कट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र सहित 04 अभियुक्त 2–अक्षय 3–गौरव 4–तरूण को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र थाना अरनिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2021 धारा 379/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जीते उर्फ जीतू उर्फ जितेन्द्र निवासी कन्होई थाना गभाना जनपद अलीगढ़।

2—अक्षय निवासी रामनगर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

3—गौरव निवासी राउपुर तलाह थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

4—तरूण निवासी दरियापुर थाना जवां जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—02 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की 10 मोटर साइकिल**
- **03 हजार 925 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 21.07.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली मन्दिर चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अतुल 2–सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी की 10 मोटर साइकिल, 03 हजार 925 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतुल निवासी मो0 नईबस्ती चमरपेडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2–सूरज निवासी नवादा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–लूट/चोरी की 10 मोटर साइकिल।
2–03 हजार 925 रूपये नगद आदि।

➢ जनपद हाथरस/थाना हसायन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद हाथरस द्वारा थाना हसायन पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/506 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त सुरेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सीतापुर द्वारा थाना लहरपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि में अभियुक्त रामशुक्ला को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

—————————